

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 753 / 2013 / सिरौही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरौही.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स के.सी. टेलीकॉम, आबूरोड़.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 754 / 2013 / सिरौही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरौही.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स के.सी. एजेन्सी, आबूरोड़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27 / 01 / 2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरौही (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 74 व 75 / आरवेट / सिरौही / 12-13 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 26.11.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जावेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 23 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 25.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि में दर्शायी गयी खरीद पर आगत कर का मुजरा लिया गया है। प्रत्यर्थीगण को उनके विक्रेताओं ने विक्रय उपरान्त ट्रेड डिस्काउण्ट के क्रेडिट नोट जारी किये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की

लगातार.....2

धारा 23 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में उक्त क्रेडिट नोट्स की राशि पर आगत कर को रिवर्स किया गया एवं बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रिवर्स टैक्स को अपास्त किया गया एवं धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील संख्या	क्रेडिट नोट की राशि	रिवर्स टैक्स	शास्ति u/s 58
1	2	3	4
753/2013	6,35,905/-	25,924/-	29,870/-
754/2013	2,93,614/-	36,484/-	1,100/-

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा विक्रयोपरान्त दिये गये क्रेडिट नोट्स की राशि वेट अधिनियम की धारा 2(36) के II स्पष्टीकरण अनुसार विक्रय मूल्य का भाग नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारीगण द्वारा लिये गये आई.टी.सी. को रिवर्स कर कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने में विधिक भूल की है। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण भी उचित प्रकार किया गया था, जबकि उक्त बिन्दु पर प्रत्यर्थीगण की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थीगण ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने क्रेडिट नोट की राशि पर आई.टी.सी. अस्वीकार किया है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारीगण ने प्रपत्र

वैट-07 में वर्णित सम्पूर्ण खरीद पर वैट कर चुकाया है एवं विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को अदा कर दिया। क्रेडिट नोट में कर राशि को लौटाया नहीं गया है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थागण को दिये गये क्रेडिट नोट की राशि वैट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकती। अतएव विक्रेता द्वारा वैट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थागण को विक्रेता द्वारा दिये गये क्रेडिट नोट की राशि पर आगत कर अस्वीकार करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’ उदयपुर; माननीय केरला उच्च न्यायालय के प्रिया एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 14 वी.एस.टी. 293 एवं माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के मद्रास सीमेंट लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी. एस.टी. 14 का हवाला दिया गया। धारा 58 के तहत शास्ति के बिन्दु पर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थागण को विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये गये थे, ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में भी कोई भूल नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के साथ राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इन प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारीगण ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारियों से क्रेडिट नोट (ट्रेड डिस्काउण्ट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेडिट नोट की राशि पर रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया है। क्रेडिट नोट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। वैट अधिनियम की धारा 2(36) में ‘विक्रय मूल्य’ को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(36) “sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;



Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त क्रेडिट नोट्स की राशि को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थीगण के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है तथा क्रेडिट नोट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार कर आरोपित रिवर्स कर अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 व 270 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

जहां तक धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दोनों ही प्रकरणों में प्रत्यर्थीगण द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं। अपील संख्या 753/2013 मैसर्स के.सी.टेलीकॉम, आबूरोड़ से सम्बन्धित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को धारा 58 के तहत नोटिस तो जारी किया गया है, किन्तु उक्त नोटिस की प्रत्यर्थी पर तामील होना नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अपील संख्या 753/2013 से सम्बन्धित प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

इसी प्रकार अपील संख्या 754/2013 मैसर्स के.सी. एजेन्सी, आबूरोड़ से सम्बन्धित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को धारा 58 के तहत नोटिस दिनांक 3.9.2010 व 13.8.2010 को जारी किये गये हैं, जिन पर प्रत्यर्थी की प्राप्ति के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह तर्क उचित नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किय गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।




लगातार.....5

—: 5 :-

1-2. अपील संख्या-753/2013 एवं 754/2013/सिरोही.

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 753/2013 अस्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या 754/2013 रिवर्स टैक्स के बिन्दु पर अस्वीकार करते हुए धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
27/01/17